न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 02 / अ–19(3) / 2017–18

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा
———— आवेदक

वनाम

मध्यप्रदेश शासन,(राजस्व विभाग)
———— अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 10 / 10 / 2017 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा द्वारा पत्र क्र. 4175 / तक. / सेमलखेडी तीर्थ परि. / 2016–17 दिनांक 03.12.16 के द्वारा सेमलखेडी तीर्थ लघु सिचांई परियोजना में उपयोगित 70.88 है. वन भूमि के वदले राजस्व भूमि वन विभाग को दिये जाने का लेख किये जाने पर तहसीलदार सिरोंज द्वारा भूमि उपलब्धता की जानकारी दी जाकर भूमि हस्तातंरण हेतु विधिवत जांच उपरांत उपखण्ड अधिकारी सिरोंज के माध्यम से उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन / प्रकरण निम्नानुसार है :-

तहसीलदार सिरोंज द्वारा संस्थित प्र.क्र. 596 / बी–121 / 16–17 एवं उपखण्ड अधिकारी सिरोंज के द्वारा पंजीवद्ध प्र.क्र. 01 / अ–82 / 17–18 अनुसार तहसील अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक से जांच रिपोर्ट / पंचनामा लिये जाकर जन सामान्य की आपत्ति हेतु सूचना प्रकाशन कराया गया इश्तहार के पश्चात नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज, राजस्व निरीक्षक व्रह.सिरोंज, हल्का पटवारी एवं वन विभाग आदि द्वारा प्रस्तावित भूमि का स्थल का दिनांक 26.09.17 से 28.09.17 तक ग्राम धरमपुर एवं सांकलोन के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण व संयुक्त जॉच रिपोर्ट / पंचनामा प्रस्तुत किये जाकर तहसील सिरोंज के 02 ग्रामो के किता–12 का रकवा 70.000 है. भूमि वांछित प्रयोजन में प्रभावित वन भूमि के स्थान पर वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तातंरित किया जाना प्रस्तावित की गई जो इस प्रकार है :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा है. में	नोईयत
1	2	3	4	5
01	सांकलोन	1/1	12.977	बीड सीलिंग
02		1/1 मिन 2	3.066	–"–
03		2/1	9.668	–"–
04		2/1 मिन 3	6.069	काबिल कास्त वीड सीलिंग
05		4/3	9.944	–"–
06		5/2	16.123	–"–
	कुल	6	57.847	
01	धरमपुर	44	1.250	पहाड
02		45	1.280	–"–
03		46	2.263	–"–
04		47	1.180	–"–
05		48	5.511	–"–
06		49	0.668	–"–
	कुल	6	12.153	

Scanned by CamScanner

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सिरोंज के प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार पर संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा की सेमलखेडी तीर्थ लघु सिचांई परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु तहसील सिरोंज के ग्राम सांकलोन, धरमपुर के उक्त वर्णित कुल किता-12 के कुल रकबा 70.000 है. शासकीय राजस्व भूमि की नोईयत म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत परिर्वतन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि का उपयोग प्रस्तावित प्रयोजन हेतु दो वर्ष की अवधि तक न किये जाने की दशा में भूमि पुनः शासकीय मद में दर्ज की जावेगी।

(अनिल सुचारी)
कलेक्टर
जिला-विदिशा

पृ.क्र./क्यू/रीडर/2017/13764 विदिशा दिनांक 11/10/2017

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.भोपाल।
04. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05. वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल विदिशा।
06. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विदिशा/संजय सागर परियोजना वाह नदी संभाग बासौदा।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला-विदिशा
जिला विदिशा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner